(19)

छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

//आदेश//

रायपुर दिनांक /10/2010

क0 / /21–ब/छ.ग./2010 – तेरहवें वित्त आयोग द्वारा न्याय व्यवस्था में सुधार हेतु अनुशंसित सहायता अनुदान के उपयोग के लिए भावी योजना **(perspective plan)** एवं कार्य योजना **(Action plan)** के अनुमोदन एवं इन योजनाओं के कियान्वयन में हुई प्रगति की नियमित निगरानी **(Monitoring)** हेतु राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उच्च स्तरीय निगरानी समिति [High Level Monitoring Committee] का गठन करती है जिसके निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे–

1. वित्त सचिव,
2. विधि सचिव,
3. गृह सचिव,
4. सचिव (लोक निर्माण विभाग),
5. महानिदेशक (DG) अभियोजन,
6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, छ.ग.,
7. सदस्य–सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
8. निदेशक, राज्य न्यायिक अकादमी।

पंजी क्रमांक - 531
ब–4/ चार / वित्त / 20
दिनांक 21/10/10 200

समिति की बैठक तेरहवें वित्त आयोग की अवार्ड अवधि **(जो कि वर्ष 2010–15 है)** में प्रत्येक तिमाही में आयोजित की जाएगी।

JS(P)
19 OCT 2010

(आर.एस. शर्मा)
प्रमुख सचिव
छ.ग.शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

27/10

पृ.क0 11689 /2757/21–ब/छ.ग./2010 रायपुर, दिनांक 19/10/2010

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव विधि, छ.ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर,
2. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छ.ग.,
3. निदेशक, राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर, छ.ग.,
4. ~~प्रमुख~~ सचिव, वित्त, छ.ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर,
5. प्रमुख सचिव, गृह, छ.ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर,
6. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर,
7. महानिदेशक (डी.जी.) अभियोजन, पुलिस मुख्यालय, रायपुर,
8. सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा मार्ग, बिलासपुर, छ.ग.,
9. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

SO(B-4)
Plz put up

21/10/10

19/10/10
(के.एल. चरयाणी)
अतिरिक्त सचिव
छ.ग.शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग